

समान नागरिकी संहति

प्रलिमिंस के लयि:

समान नागरिकी संहति, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14

मेन्स के लयि:

प्रसनल लॉ पर समान नागरिकी संहति के प्रभाव ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय ने वर्ष 2019 में दायर एक जनहति याचिका के जवाब में कहा कि [समान नागरिकी संहति](#) (यूसीसी) का कार्यान्वयन, संवधान के तहत एक **नरिदेशक सदिधांत** (अनुच्छेद 44) है जो सार्वजनिकी नीतिका मामला है और यह कोई नरिदेश नहीं है । यह न्यायालय द्वारा जारी कयिा जा सकता है ।

- केंद्र ने [भारतीय वधिआयोग](#) (21वें) से यूसीसी से संबंधति वभिनिन मुद्दों की जाँच करने और उस पर सफिरारशें प्रदान करने का अनुरोध कयिा है ।

प्रमुख बदिु

■ परचिय

- समान नागरिकी संहति पूरे देश के लयि एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मक समुदायों के लयि वविाह, तलाक, वरिसत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है ।
- संवधान के अनुच्छेद 44 में वर्णति है कि राज्ज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लयि एक समान नागरिकी संहति सुनश्चिति करने का प्रयास करेगा ।
 - अनुच्छेद-44, संवधान में वर्णति राज्ज्य के नीत नरिदेशक तत्त्वों में से एक है ।
 - अनुच्छेद-37 में परभाषति है कि राज्ज्य के नीत नरिदेशक तत्त्व संबंधी प्रावधानों को कसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तति नहीं कयिा जा सकता है लेकिन इसमें नहिति सदिधांत शासन व्यवस्था में मौलिकी प्रकृति के होंगे ।

■ भारत में समान नागरिकी संहति की स्थति

- भारतीय कानून अधिकांश नागरिकी मामलों में एक समान कोड का पालन करते हैं जैसे कि **भारतीय अनुबंध अधनियिम 1872**, नागरिकी प्रकृयिा संहति, संपत्ति हिसतांतरण अधनियिम 1882, भागीदारी अधनियिम 1932, **साकष्य अधनियिम, 1872** आदि ।
- हालाँकि राज्यों ने सैकड़ों संशोधन कयिे हैं, इसलयि कुछ मामलों में इन धर्म्मनरिपेक्ष नागरिकी कानूनों के तहत भी वविधिता है ।
 - हाल ही में कई राज्यों ने **समान मोटर वाहन अधनियिम, 2019** द्वारा शासति होने से इनकार कर दयिा ।

■ भूमकिका:

- समान नागरिकी संहति (UCC) की अवधारणा का वकिस आूपनविशकि भारत में तब हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपिरट प्रस्तुत की थी, जसिमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे वभिनिन वषियों पर भारतीय कानून के संहतिकाकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दयिा गया, हालाँकि रिपिरट में हदू और मुसलमानों के वयक्तगत कानूनों को इस एकरूपता से बाहर रखने की सफिरारशि की गई ।
- ब्रिटिश शासन के अंत में वयक्तगत मुद्दों से नपिटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हदू कानून को संहतिबद्ध करने के लयि बी.एन. राव समतिगठति करने के लयि मजबूर कयिा ।
- इन सफिरारशियों के आधार पर हदूओं, बौद्धों, जैनों और सखिों के लयि नरिवसीयत उत्तराधिकार से संबंधति कानून को संशोधति और संहतिबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में हदू उत्तराधिकार अधनियिम के रूप में एक वधियक को अपनाया गया ।
 - हालाँकि मुसलिम, इसाई और पारसी लोगों के लयि अलग-अलग वयक्तगत कानून थे ।
- कानून में समरूपता लाने के लयि वभिनिन न्यायालयों ने अक्सर अपने नरिणयों में कहा है कि सरकार को एक समान नागरिकी संहति सुनश्चिति करने की दशिा में प्रयास करना चाहयि ।
 - **शाह बानो मामले (1985)** में दयिा गया नरिणय सरववदिति है ।
 - सरला मुद्गल वाद (1995) भी इस संबंध में काफी चर्चति है, जो कि बहुवविाह के मामलों और इससे संबंधति कानूनों के बीच वविाद से

जुड़ा हुआ था।

- प्रायः यह तर्क दिया जाता है '**ट्रिपल तलाक**' और बहुविवाह जैसी प्रथाएँ एक महिला के सम्मान और उसके गरमापूरण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, केंद्र ने सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी वसितारति होनी चाहिये जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

■ व्यक्तगत कानूनों के लिये समान नागरिक संहिता के नहितार्थः

- समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण
 - समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मल्लिगा।
- कानूनों का सरलीकरण
 - समान नागरिक संहिता विवाह, वरिषत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी। परिणामस्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों।
- धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करना
 - भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द सन्निहित है और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नयियों के बजाय सभी नागरिकों के लिये एक समान कानून बनाना चाहिये।
- लैंगिक न्याय
 - यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है, तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तगत कानून समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा।

■ चुनौतियाँ

- केंद्र सरकार के पारिवारिक कानूनों में मौजूद अपवाद
 - स्वतंत्रता के बाद से संसद द्वारा अधिनियमित सभी केंद्रीय पारिवारिक कानूनों में प्रारंभिक खंड में यह घोषणा की गई है कि वे 'जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होंगे।'
 - इन सभी अधिनियमों में 1968 में एक दूसरा अपवाद जोड़ा गया था, जिसके मुताबिक, 'अधिनियम में शामिल कोई भी प्रावधान केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी पर लागू होगा।'
 - एक तीसरे अपवाद के मुताबिक, इन अधिनियमों में से कोई भी गोवा और दमन एवं दीव में लागू नहीं होगा।
 - नगालैंड और मजिोरम से संबंधित एक चौथा अपवाद, संविधान के अनुच्छेद 371A और 371G में शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक कोई भी संसदीय कानून इन राज्यों के प्रथागत कानूनों और धर्म-आधारित प्रणाली का स्थान नहीं लेगा।
- सांप्रदायिक राजनीतिः
 - कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में की जाती है।
 - समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है।
- संवैधानिक बाधाः
 - भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 25**, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 14** में नहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है।

आगे की राह

- परस्पर विश्वास निर्माण के लिये सरकार और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, कति इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए।
- एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे अलग-अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है।
- सभी व्यक्तगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना काफी महत्त्वपूर्ण है, ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परिक्षण किया जा सके।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस